

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभागीय कार्यालय परिसर के साफ-सफाई हेतु

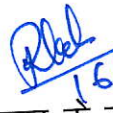
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

विद्युत भवन-II में प्रथम तल पर स्थित ऊर्जा विभाग के पूरे परिसर (कक्षों, बरामदा, शौचालय इत्यादि) की साफ-सफाई करने हेतु सफाई क्षेत्र में कार्य करने वाले निबंधित एवं अनुभवी प्रतिष्ठानों/संस्थाओं से निर्धारित शर्तों के साथ द्विलिफाफा पद्धति के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण

अवधि	:	01 (एक) वर्ष
निविदा प्रपत्र निर्गत करने की तिथि	:	22.07.2026 से 27.07.2026 तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:	29.07.2026 को 2:00 बजे अपराह्न तक (विभागीय आगत शाखा में जमा किया जायेगा)
तकनीकी बीड खोलने की तिथि	:	29.07.2026 को 4:00 बजे अपराह्न में
वित्तीय बीड खोलने की तिथि	:	29.07.2026 को 4:30 बजे अपराह्न में
निविदा खोलने का स्थान	:	संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्यालय कक्ष
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	1000/- (एक हजार) रुपये अप्रत्यर्पणीय (विभागीय रोकड़ शाखा में जमा किया जायेगा)

निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें ऊर्जा विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/energy> के Notice Board पर देखा जा सकता है।


16/07/26
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभागीय कार्यालय परिसर के साफ-सफाई हेतु

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

विद्युत भवन-II में प्रथम तल पर स्थित ऊर्जा विभाग के पूरे परिसर (कक्षों, बरामदा, शौचालय इत्यादि) की साफ-सफाई करने हेतु सफाई क्षेत्र में कार्य करने वाले निबंधित एवं अनुभवी प्रतिष्ठानों/संस्थाओं से निर्धारित शर्तों के साथ द्विलिफाफा पद्धति के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण

अवधि	: 01 (एक) वर्ष
निविदा प्रपत्र निर्गत करने की तिथि	: 22.07.2026 से 27.07.2026 तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	: 29.07.2026 को 2:00 बजे अपराह्न तक (विभागीय आगत शाखा में जमा किया जायेगा)
तकनीकी बीड खोलने की तिथि	: 29.07.2026 को 4:00 बजे अपराह्न में
वित्तीय बीड खोलने की तिथि	: 29.07.2026 को 4:30 बजे अपराह्न में
निविदा खोलने का स्थान	: संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्यालय कक्ष
निविदा प्रपत्र का मूल्य	: 1000/- (एक हजार) रुपये अप्रत्यर्पणीय (विभागीय रोकड़ शाखा में जमा किया जायेगा)

निविदा शर्त:-

(क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद एवं लिफाफे के उपर भी निविदा के प्रकार यथा तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा स्पष्ट एवं बोल्ड अक्षर में लिखा रहना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा स्वीकृति के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा अस्वीकृत की जायगी, उनकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

विभाग को निविदा की प्राप्ति या खोलने की तिथि को परिवर्तित करने या किसी भी अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

1. तकनीकी निविदा की शर्त:-

- (क) तकनीकी निविदा के साथ कार्य अनुभव, पैन नम्बर एवं पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।
- (ख) तकनीकी निविदा के साथ GSTN संलग्न होना चाहिए।
- (ग) तकनीकी निविदा के साथ संवेदक का आचरण प्रमाण-पत्र जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत हो (छ: माह के पूर्व का नहीं) संलग्न होना चाहिए।
- (घ) निविदादाता को उनके फर्म/प्रतिष्ठान को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने के आशय का स्व-शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

2. वित्तीय निविदा की शर्तें:-

साफ-सफाई हेतु न्यूनतम 02 (दो) एवं अधिकतम 03 (तीन) मजदूरों की आवश्यकता होती है जिसके लिए प्रतिमाह प्रति सफाई कर्मी की मजदूरी दर, EPF, ESI सेवा शुल्क एवं GST तथा सफाई सामग्री की राशि प्रतिमाह के दर से स्पष्ट अंकित करना अनिवार्य है। सफाई सामग्री की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए एवं कुल मजदूरी राशि का 10% राशि सफाई सामग्री पर व्यय किया जायेगा।

3. न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में समय-समय पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना का अनुपालन दोनों पक्षों के द्वारा किया जाएगा।
4. कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समान दर एवं शर्तों के अधीन एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम तीन वर्षों तक अवधि विस्तार किया जा सकता है।

5. कार्य का विवरण:-

1. कार्यालय कार्य प्रारंभ अर्थात् पूर्वाह्न 9:30 बजे के पूर्व तक कार्यालय एवं अन्य स्थलों के सफाई का कार्य संपन्न करना होगा।
2. 9:30 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक सफाई कर्मियों को हमेशा मुस्तैद रहना होगा, ताकि आकस्मिक सफाई की आवश्यकता, यदि पड़े तो, तदनुसार सफाई कार्य संपन्न किया जा सके। आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलने पर सफाई कर्मी को उपलब्ध रहना होगा।
3. विभाग के द्वारा प्रतिष्ठान को राशि का भुगतान इस शर्त के साथ किया जायेगा कि नियमानुसार करो एवं अन्य कटौती की विवरणी कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध कराना होगा।
4. प्रत्येक दिन कार्यालय के प्रत्येक कक्षों की खिड़कियों, दरवाजों आदि की डस्टिंग, फर्श की सफाई, बाथरूम की पूर्णरूपेण सफाई तथा सभी पदाधिकारियों के कार्यालय कक्षों में रूम फ्रेशनर का छिड़काव करना होगा।
5. बाथरूम स्थित पैन तथा यूरिनल पॉल में फिनाईल की गोली/ऑडोनील की गोली रखना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बाथरूम में साप्ताहिक ऑडोनील की व्यवस्था एवं बाथरूम स्थित Liquid Soap की व्यवस्था करनी होगी। सफाई से संबंधित सभी प्रकार की उत्तम कोटि की सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित प्रतिष्ठान को करना होगा।
6. सफाई के कार्य में किसी तरह की लापरवाही की दशा में प्रतिष्ठान को सफाई हेतु दिया हुआ आदेश वापस लेने एवं संस्था को काली सूची में डालने का एकाधिकार ऊर्जा विभाग के पास होगा।
7. कार्य संतोषप्रद होने के उपरान्त ही राशि का भुगतान प्रतिष्ठान को किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय आदेश रद्द किया जा सकता है।
8. अग्रधन (Earnest Money) की राशि 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का डिमांड ड्राफ्ट जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में देय हो अथवा 50,000/- (पचास हजार) रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र वचनबद्ध (Pledge) कराया हुआ निविदा में सफल प्रतिष्ठान को कार्य आरंभ करने से पहले जमा करना होगा।

सरकार के उप सचिव।